आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

30.11.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 25/2013–14
102/2015–16

1. मो0 जियाउल हक 2. म0 युनुस 3. मो0 इस्माईल 4. मो0 हनीफ 5. मो0 तफेजुल 6. मो0 तबरेज 7. बीबी सदीका, सभी पिता–स्व0 शेख सरीद, सभी सा0–ग्यासपुर, पो0–मियाँहाट, थाना–पलासी, जिला–अररिया
8. बीबी करीसन, पिता–स्व0 हमीद, पति–म0 ग्यास, ग्राम–बरहट, थाना–पलासी, जिला–अररिया – पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

मो0 दाउद, पिता–स्व0 म0 अजहर, पिता–स्व0 शेख हमीद, ग्राम–ग्यासपुर, थाना–पलासी, जिला–अररिया – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्त्तागण की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 104/2013–14 (मो0 जियाउल हक एवं अन्य बनाम मो0 दाउद) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 21.11.2013 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 07.03.2014 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विधिवत निष्पादन हेतु इसे दिनांक 18.08.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1198/विधि, दिनांक 25.05.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकवा
ग्यासपुर अंचल–पलासी	121	175	379	0.57 ए0
			385	0.11 ए0
				कुल 0.68 ए0

विपक्षी के ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया।

पुनरीक्षणकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत फुलाचंद लेहरी थे। भूधारी बहुत बड़े भूधारी थे, उनके विरूद्ध भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चला और प्रश्नगत भूमि धारा 15(1) के तहत अर्जित की गई। अर्जन उपरांत प्रश्नगत भूमि के शिकमीदार रैयत 1. शेख मो0 फरीदउद्दीन 2. शेख म0

सरीदउद्दीन एवं 3. हमीद उद्दीन के साथ बंदोबस्ती वाद सं0 07/2006–07 द्वारा ब हिस्सा बराबर लाल कार्ड निर्गत हुआ तथा तीनों के नाम रजिस्टर–II में जमाबंदी दर्ज हुआ। उनके मरनोपरांत उनके उत्तराधिकारीगण अपने–अपने यानि 1/3 हिस्सा पर दखलकार हुये। शेख फरीदउद्दीन, सरीद उद्दीन, हमीद उद्दीन की मृत्यु 1985 ई0 के पूर्व ही हो चुकी है। जिसके उत्तराधिकारी का वंश वृक्ष ग्राम पंचायत राज रामनगर के मुखिया व सरपंच द्वारा निर्गत है। पुनरीक्षणकर्त्तागण का वाद भूमि 45 डी0 334 वर्गकड़ी पर मकान मय सहन, बाड़ी–झाड़ी के साथ शांति पूर्वक दखल है। हमीद का उत्तराधिकारी 22 डी0 666 वर्गकड़ी पर दखलकार है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षी मो0 दाउद जो हमीद के पौत्र है, को वादभूमि के अंदर से 01 डी0 334 वर्गकड़ी भूमि प्राप्त हुआ किन्तु 45 डी0 334 वर्गकड़ी का जाल पंचनामा व गलत वंश वृक्ष तामिल कर तथा यह बताकर कि विपक्षी ही एक मात्र उत्तराधिकारी है, शेष उत्तराधिकारियों को छिपाकर उत्तराधिकारी नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया और गलत जानकारी देकर धोखे से नामान्तरण वाद सं0 1245/2010–11 द्वारा अपने पक्ष में नामान्तरण आदेश प्राप्त कर लिया गया। उक्त नामान्तरण वाद में विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2010 को आदेश पारित किया गया है जबकि विपक्षी द्वारा दाखिल शपथ पत्र दिनांक 31.03.2011 को तामिल किया गया है। विपक्षी शेख दाउद द्वारा दाखिल कथित पंचनामा, शपथ पत्र पर अपीलकर्त्ता और न हीं उनके पूर्वजों का ही हस्ताक्षर/अंगूठा निशान मौजूद है। संयुक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण में सभी साझेदारों का सहमती एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। चकबंदी खतियान की सम्पुष्टि उक्त अंचल में अभी तक नहीं हुआ है और न ही चक नक्शा तैयार हुआ है। अंचलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध दाखिल नामान्तरण अपील वाद सं0 104/2013–14 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश तथ्यों से दोषपूर्ण और न्याय के विरूद्ध है, जिसे रद्द करते हुए इस नामान्तरण पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि यह सत्य है कि प्रश्नगत भूमि का लाल कार्ड पुनरीक्षणकर्त्तागण के पूर्वजों के नाम बना जो तीनों सगे भाई थे। लाल कार्ड प्राप्त होने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से दखलकार हुये किन्तु किसी भी फरीकेन द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उस समय घर मकान बनाकर नहीं रहते थे, सिर्फ दखल–कब्जा के आधार पर जमाबंदी दर्ज किया गया। गैर व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत भूमि के रकवा 68 डी0 में से 7 डी0 भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर घर–दरवाजा बना लिये जाने पर सभी फरीकेन आपस में मिल बैठकर आपसी सहमति से खनगी बँटवारा के आधार पर प्रश्नगत भूमि में से 45 डी0 334 वर्ग कड़ी विपक्षी मो0 दाउद के दादा हमीद को देकर बसा दिया गया। जिसपर विपक्षी अपने पूर्वजों के समय से ही घर–दरवाजा, मकान एवं बाड़ी–झाड़ी सहित आज तक दखलकार है।

इनका यह भी कहना है कि वर्ष 1990–91 में चकबंदी सर्वे के दौरान प्रश्नगत खेसरा 379 एवं 385 के रकवा 45 डी0 334 वर्गकड़ी भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा पाते हुए विपक्षी के नाम से चकबंदी खतियान भी बिना किसी आपत्ति के दर्ज हुआ। तथा वादग्रस्त भूमि का शिकमी खतियान भी विपक्षी के नाम दर्ज है। जिसका बँटवारा नामान्तरण वाद सं0 1245/2010–11 में पारित आदेश में भूलवश खेसरा सं0 379 के जगह 399 अंकित हो जाने पर खेसरा सुधार हेतु दाखिल विविध वाद सं0 02/2011–12 में पुनरीक्षणकर्त्ता को सूचना निर्गत की गई। किन्तु उनलोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति दाखिल नहीं की गई। तदोपरांत विपक्षी के नाम खेसरा सुधार करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के समक्ष दाखिल नामान्तरण अपील वाद सं0 104/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 में विज्ञ भूमि सुधार द्वारा लिखा गया है कि उक्त नामान्तरण अपील वैद्यानिक अवधि समाप्त होने के उपरांत विलम्ब से दाखिल की गई है एवं प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी मो0 दाउद के खास दखल में है। नामान्तरण वाद में दखल–कब्जा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है। उक्त तथ्य के आधार पर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश जो अपील वाद को खारिज किया गया है, न्यायसंगत है।

इनका यह भी कहना है कि श्रीमान् के न्यायालय में भी दाखिल पुनरीक्षण वाद कालबधित है। जिससे स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा विपक्षी को बेवजह परेशान करने की नियत से उपरोक्त वाद को लाया गया है। क्योंकि पुनरीक्षणकर्त्तागण द्वारा विपक्षी के वाद भूमि पर बने घर को तोड़फोड़ एवं लूट–पाट कर लिये जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा कुल 23 व्यक्तियों के विरूद्ध पलासी थाना कांड सं0 37/2014 दर्ज किया है। जिसमें सभी 23 व्यक्तियों के विरूद्ध 379 के अलावा अन्य धाराओं में सत्य पाते हुए आरोप पत्र व्यवहार न्यायालय में दाखिल है।

अतः उपरोक्त पुनरीक्षण वाद को खारिज कर विज्ञ अंचलाधिकारी, पलासी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय के पारित आदेश के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि भूहदबदी अधिनियम की धारा 15(1) के द्वारा अर्जित होकर पुनरीक्षणकर्त्ता एवं विपक्षी के पूर्वजों के नाम लाल कार्ड रकवा 68 डी0 भूमि प्राप्त हुआ। जिसका शिकमी खयितान भी इनलोगों के नाम दर्ज था तथा खेती–बाड़ी के रूप में दखलकार थे, जिसका जमाबंदी भी संयुक्त रूप से दर्ज हुआ। जब प्रश्नगत भूमि के 7 डी0 भूमि पर गैर व्यक्ति जाबिर द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया तो उसे रोकने के लिये सभी फरीकेन ने आपसी खानगी बँटवारा के तहत विपक्षी दाउद के पिता अजहर अली को 45 डी0 334 वर्गकड़ी भूमि देकर बसाया, जिसपर विपक्षी के पिता घर बनाकर बसोवास करने लगे। दखल–कब्जा के आधार पर

विपक्षी के नाम चकबंदी खतियान भी दर्ज हुआ। जिसके आधार पर अंचल कार्यालय के नामान्तरण वाद स0 1245/2010–11 द्वारा जमाबंदी सं0 53 दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। जहाँ तक प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के पंचनामा को जाली बातया जा रहा है, तो इसका विनिश्चय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। नामान्तरण प्रक्रिया में दखल–कब्जा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है और विपक्षी अपने पूर्वजों के समय से ही प्रश्नगत भूमि पर दखलकार है। जिसकी पुष्टि निम्न न्यायालय के पारित आदेश तथा निर्गत चकबंदी खतियान से भी होता है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि नामान्तरण अपील वाद सं0 104/2013–14 में दिनांक 24.09.2013 को विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 को बहाल रखते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/– अपर समाहर्त्ता अररिया

ह0/– अपर समाहर्त्ता अररिया

ज्ञापांक 131 (न्या0)/रा0, अररिया, दिनांक 30/11/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को नामान्तरण अपील वाद सं0 104/2013–14 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 104/2013–14 मूल में।

30.11.16

अपर समाहर्त्ता

अररिया

I.T. प्रबंधक